भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4775

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

टोल संग्रह प्रणाली का आधुनिकीकरण

4775. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) टोल संग्रह प्रणाली के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ उनकी परिचालन स्थिति और भीड़भाड़ और राजस्व जुटाने पर फास्टैग के कार्यान्वयन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय विकास और कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए लागू किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार स्थानीय समुदायों पर बड़े पैमाने पर राजमार्ग परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन कैसे करती है और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और आजीविका में सहायता के लिए क्या उपाय करती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर छूट प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य सभी प्रयोक्ता शुल्क भुगतान का 98% फास्टैग के माध्यम से किया जाता है। 16 फरवरी, 2021 (00:00 बजे) को सभी लेनों पर फास्टैग के अनिवार्य कार्यान्वयन के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा फास्टैग प्रणाली पर एक प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया। उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि शुल्क प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय - मैनुअल शुल्क संग्रहण प्रणाली के तहत 734 सेकंड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली के अंतर्गत 47 सेकंड तक में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त, शुल्क प्लाजा पर भीड़ की निगरानी जीआईएस आधारित टोल भीड़ निगरानी साधन के माध्यम से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का उपयोग करते हुए निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें फास्टैग भी शामिल है, जहां वाहन प्रयोक्ताओं से उन्हें रुके बिना, गति धीमी किए बिना या किसी विशेष शुल्क प्लाजा लेन में रुके बिना प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा।

(ख) सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्कता और सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यनीति लागू कर रही है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाई स्पीड कॉरिडोर और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सामरिक महत्व वाले कॉरिडोर, अंतर-कॉरिडोर संपर्कता और सीमावर्ती सड़कों का विकास शामिल है।

ये परियोजनाएँ एकल या मध्यम लेन वाली सड़कों के उन्नयन, उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गलियारों के साथ एकीकृत करने और दूरस्थ बस्तियों तक अंतिम-मील संपर्कता में सुधार पर केंद्रित हैं। इन पहलों का उद्देश्य संभार तंत्र (लॉजिस्टिक) लागत को कम करना, सभी मौसमों में पहुंच सुनिश्चित करना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक अवसरों को बढ़ाना और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, जिससे क्षेत्रीय विकास और महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को समर्थन मिल सके।

(ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक पैमाने की राजमार्ग परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण के दौरान किए गए पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव अध्ययनों के माध्यम से किया जाता है। ये आकलन आजीविका, भूमि उपयोग, सेवाओं तक पहुँच और प्रभावित समुदायों की समग्र आर्थिक स्थिति पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए, पुनर्स्थापन और आजीविका सहायता उपायों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम) के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियां हितधारकों के साथ नियमित परामर्श भी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्स्थापन कार्य योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं को हल करें और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आईआईएम, बैंगलोर द्वारा किए गए एक अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्ष कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। आर्थिक रूप से, घरेलू आय और व्यय में वृद्धि हुई है। लागत कम होने से संभार तंत्र (लॉजिस्टिक) में सुधार हुआ है। व्यापार को बाज़ारों और कारखानों तक बेहतर पहुँच का लाभ मिला है। सामाजिक रूप से, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तक यात्रा के समय में कमी आई है, जिससे सुगमता में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, अध्ययन बताता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण ने सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

*****